फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

प्रेमा उर्फ प्रेमकुमार बनाम महावीर व अन्य

किस्म मुकदमाः–212, 212(2) R.T.Act प्रकरण संख्याः–93/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सुथार ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 9 एस0जी0आर0 के पत्थर संख्या 58/57 (83) के किला संख्या 16 ता 20 में 1.265 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा यानि 0.632 हैक्टर नहरी भूमि है। प्रार्थी के भाई अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 4 को अपना समस्त हिस्सा दान कर दिया है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या–1 को अपना उक्त रकबा हिस्सा ठेका पर देता आ रहा था। प्रार्थी का भाई अप्रार्थी संख्या–01 दिमागी रूप से कमजोर है। जिसको अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 ने अपने वश में कर उसका तमाम रकबा अप्रार्थी संख्या–03 के नाम दर्ज करवा दिया है तथा वादी का रकबा जो अप्रार्थी संख्या 1 को हिस्सा ठेका पर काश्त पर देता था तथा अब अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने एकजुट होकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी ने हिस्सा व ठेका राशि देने के लिए कहा तो वह ठेका राशि व हिस्सा राशि देने में आना–कानी करने लगे व इंकारी हो गये। प्रार्थी की इच्छा के वगैर उक्त खातेदारी भूमि का कब्जा सौपनें से भी इंकार हो गये। प्रार्थी की इच्छा के विरूद्ध आज तक लगातार प्रार्थी के खातेदारी रकबा का फसली फायदा उठा रहे हे। प्रार्थी, अप्रार्थीगण से वर्ष 2018 से लेकर आज तक का प्रति बीघा 45,000/– ठेका/प्रतिभूति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जैरवाद रकबा पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा उक्ता रकबा पर तहसीलदार, सूरतगढ़ को रिसीवर नियुक्त करें या 45000/– रूप्ये प्रति बीघा प्रति फसल के हिसाब से प्रतिभूति राशि अप्रार्थीगण से जमा करवाई जाने के आदेश किये जावें। वकील अप्रार्थी संख्या 1–2–4 श्री शिशपाल शर्मा ने प्रार्थी के कथनों को गलत बताये हुए बताया कि चक 11 एस.जी.आर. के पत्थर संख्या 34/309 के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 हैक्टर व पत्थर संख्या 34/310 के किला नं. 16, 24, 25 में 0.759 हैक्टर व पत्थर संख्या 33/310 के किला नं. 16 ता 25 में 2.530 हैक्टर व पत्थर संख्या 34/311 के किला संख्या 1–2 की 0.506, 3/1 में 0.126 हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर उक्त चारो पत्थर नम्बरान के 5.186 हैक्टर रकबा नहरी मय खाला रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1–2–4 के पिता नत्थुराम के नाम से खातेदारी है। पिता का स्वर्गवास दिनांक 16.04.2018 को हो चुका है। नत्थुराम के कुल 7 वारिस है। इस प्रकार रकबा में कुल 1/7, 1/7 हिस्सा खातेदारी बनता है। हमारे पिता नत्थुराम की दो शादिया हुई थी। प्रथम पत्नी विद्या पुत्री फूसाराम के नुत्फे से प्रेम–महावीर–गोमती का जन्म हुआ था व प्रथम पत्नी विद्या के फौत हो जाने के बाद दुसरी पत्नी विद्या पुत्री नीमाराम भादू के साथ हुआ। दुसरी पत्नी विद्या से कमला–निर्मला–राधाकृष्ण पैदा हुए। इस प्रकार हमारे पिता के नाम के चक 11 एसजीआर के 5.186 हैक्टर रकबा में प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा रकबा खतोदारी है व अप्रार्थी संख्या–4 निर्मला ने इस रकबा का तबादला प्रार्थी प्रेमकुमार के साथ किया हुआ है। चक 9 एसजीआर में 5.00 बीघा रकबा प्रार्थी प्रेमकुमार व अप्रार्थी संख्या–1 महावीर के नाम से खातेदारी था। महावीर ने इस रकबा का दान पात्र अप्रार्थी संख्या–4 के पक्ष में अपनी सर्वसम्मति से कराया है। यह रकबा हमारे पिता नत्थुराम ने खरीदकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 के नाम करवाया था। चक 11 एसजीआर के पत्थर संख्या 33/11 में 2.10 बीघा रकबा राधाकृष्ण के नाम हमारे पिता ने खातेदारी दर्ज करवा दिया था। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता नत्थुराम ने अपने जीवनकाल में तीनो बेटो के नाम से 0.633 हैक्टर रकबा खरीदकर खातेदारी दर्ज करवा दिया था। अब हमारे पिता फौत हो चुके है तथा चक 11 एसजीआर की 5.186 हैक्टर रकबा में प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा में 0.740 हैक्टर रकबा बनता है व प्रार्थी महावीर के हिस्सा के चक 9 एसजीआर के पत्थर सं. 22/319 के 0.632	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.2024	हैक्टर रकबा के बदला अप्रार्थीया निर्मला ने अपने हिस्सा के चक 11 एसजीआर के 5.186 हैक्अर रकबा में अपने 1/7 हिस्सा के 0.740 हैक्टर रकबा में से 0.633 हैक्टर रकबा का कब्जा प्रार्थी प्रेमा उर्फ प्रेमकुमार को सौंप रखा है। इस प्रकार चक 9 एसजीआर की भूमि के ज्यादा टुकड़े न हो इसलिये प्रार्थी को इस रकबा के बदला में प्रतिवादीया नं. 4 ने अपने हिस्सा के चक 11 एसजीआर में घरू बंटवारा करके प्रार्थी को कब्जा सौंप रखा है। प्रार्थी को उसके नाम के चक 9 एसजीआर के रकबा के बदला में जब स्वयं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 के हिस्सा का रकबा कब्जा दे रखा है तो इस रकबा को ठेके हिस्सा पर लेने की बात झुठी है। दोनो चकों की भूमि एक समान किस्म की है। प्रार्थी ने बंटवारनामा सर्वसम्मति से किया हुआ है। प्रार्थी ने चक 11 एसजीआर की भूमि में हिस्सा होने का व उस रकबा का खाता विभाजन का हवाला इस प्रकरण में पेश नही किया है तथा जब प्रार्थी ने अपने नाम के इस रकबा के बदला अप्रार्थी संख्या–4 के चक 11 एसजीआर के 0.632 हैक्टर पर शान्ति से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तो मुझ अप्रार्थी संख्या–4 के चक 11 एसजीआर के रकबा का कब्जा छोड़े बगैर ही प्रार्थी ने दावा प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने व मनगढ़त होने से निरस्त किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का भी पठन किया गया, पूर्ण पत्रावली के पठन से पाया गया कि प्रार्थी द्वारा यह पूर्ण से सिद्ध किया गया है कि चक 9 एस.जी.आर. की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता संख्या 58/57 की 1.265 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–4 निर्मला देवी के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में तर्क दिया है कि जैरवाद चक 9 एस.जी.आर. की भूमि के अलावा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता के नाम से चक 11 एस.जी.आर. की भूमि प्रार्थी को दे रखी है व उसका घरू बंटवारा कर रखा है। अप्रार्थी संख्या–4 के 1/7 हिस्सा चक 11 एस.जी.आर. पर से यदि प्रार्थी अपना कब्जा हटा ले तो जैरवाद चक 9 एस.जी.आर. की भूमि का कब्जा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि जैरवाद रकबा पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। चूंकि जैरवाद प्रकरण चक 9 एस.जी.आर. का है तथा अप्रार्थीगण द्वारा चक 11 एस. जी.आर. बाबत् कथन कर रहे है, जो इस प्रकरण पर लागू नही होता है। यदि अप्रार्थीगण चक 11 एस.जी.आर. बाबत् कोई अनुतोष चाहते है तो वह अलग से चाराजोही कर सकते है। इसलिये प्रार्थी के हितो की सुरक्षा नही की गई तो उस अवस्था में न्याय हनन होने की सम्भावना है इस अवस्था में प्राकृतिक न्याय व दिये गये न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.डी. 1995 पेज 76 की न्याय भावना के अनुसरण में पक्षकारान को समान स्थिति में लाने के लिये व उनके हितो की सुरक्षा हेतु यह उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पांबद किया जावे। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे वादी की उपर्युक्त जैरवाद भूमि वाके चक 9 एस.जी.आर. के पत्थर संख्या 58/57 (83) के किला नं. 16 ता 20 में 1.265 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.632 हैक्टर भूमि का दावा के निर्णय तक कब्जा बनाये रखना चाहते है तो रूपये 20,000/– प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से प्रतिभूति राशि तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष 15 दिवस में जमा करावें तथा आगामी प्रतिभूति राशि नियमानुसार जमा करानी होगी। यदि अप्रार्थीगण प्रतिभूति राशि जमा कराने में असफल रहते है तो उक्त जैरवाद भूमि पर तहसीलदार सूरतगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि का कब्जा बहैसियत रिसीवर प्राप्त कर फसल की काश्त व्यवस्था नियमानुसार करावें। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़